

पर्व डिक्री
यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं० 210/2025

प्रीति पत्नी निशान्त खदा जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
श्वेता पत्नी अश्वनी खदा जाति जाट निवासीयान बशीर तहसील टिब्बी
जतिन खदा पुत्र सुरजीत कुमार जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

सुमित्रा पत्नी भूराराम
अश्वनी पुत्र सुधीर
संतोष पत्नी सुधीर
सुरजीत कुमार पुत्र भूराराम
सुनिता पत्नी सरजीत कुमार
प्रशान्त पुत्र संदीप कुमार
निशान्त पुत्र संदीप कुमार
सुमन देवी पत्नी संदीप कुमार

अकवाम जाट निवासीयान बशीर तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

विशाल माता कोमिला पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी नाथूसरी चौपटा तहसील व जिला
रस्ता।

2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।



डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक 19/16/25

तज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
कील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत
ने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण
तद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:-

अ. वादीया सं० 1 प्रीति को प्राप्त आराजी :- चक नं० 6 एफटीपी के खाता सं० 86 के प०न०
02/241 मु० 20 किलानं० 6,7/506, प०न० 203/241 मु० 19 किलानं० 7,8,9,10/1.012 है०
क नं० 6 एफटीपी के खाता सं० 93 के प०न० 203 / 241 मु० 19 किलानं० 1/1/.228
/2 /.025, चकनं० 6 एफटीपी के खाता सं० 90 की कुल 0.759 है०

ब. वादीया सं० 2 श्वेता को प्राप्त आराजी :- चक नं० 9 एफटीपी के खाता सं० 137 की कुल
3.542 है० आराजी,

की सं 3 जतिन खदा को प्राप्त आराजी - चकनं 6 एफटीपी के खाता सं 86 के प०न० /243 मु० 37 किला नं 1 ता 8 मय गै०मु० सरता, प०न० 205/243 मु० 36 किलान० 1 10 मय गै०मु० सरता, चकनं 1 एफटीपी बी के खाता सं 166 के प०न० 204/232 मु० किलान० 3,4,5,10/1012 है०, चकन० 4 एम. के. एस के खाता सं 118 की कुल 1.265

प्रतिवादीया सं 1 सुमित्रा को प्राप्त आराजी :- चकनं 9 एफटीपी के खाता सं 50 के नं० 200/247 मु० 7 किलानं 22,23,24,25/1.012, चकनं 6 एफटीपी के खाता सं 93 के नं० 203/241 मु० 19 किलानं 2 /1/.228, 2/2/.025 गै०मु०, 3/1/.228, 3/2/.025 मु०, इसी चक के खाता सं 28 में प०न० 203/241 मु० 19 किलानं 4/1/.228, 4/2/. 5- गै०मु० 5/1/.228 5/2/.025 गै०मु०

प्रतिवादी सं 2 अश्वनी को प्राप्त आराजी - चकनं 9 एम. के. एस के खाता सं 75 के नं० 192/232 मु० 40 किलानं 1, 2/.506, चकनं 9 एम.के.एस के खाता सं 82 के प०न० 12/232 मु० 40 किलानं 8, 9, 10, 11/.018 है० उत्तरी दिशा, 3/.235 है० दक्षिणी दिशा, चकनं 9 एफटीपी के खाता सं 50 के प०न० 200/248 मु० 10 किलानं 2 ता 9, 13 ता 15 य गै०मु०


प्रतिवादीया सं 3 संतोष को प्राप्त आराजी:- चकनं 9 एम. के. एस के खाता सं 78 में कित कुल 2.277 है० तथा चकनं 9 एम.के.एस के खाता सं 75 के प०न० 190/230 मु० 4 किलानं 16/1/.228, 16/2/.025 गै०मु०, 25/1/.228, 25/2/.025 गै०मु०, प०न० 91/230 मु० 25 किलानं 1,10, 11, 18/2/.127, 19/2/.126, 20,21,22,23, प०न० 191 /231 मु० 28 किलानं 3,8,12,13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, प०न० 191/232 मु० 39 किलानं 2,3, 8, 9, 12, 13.

प्रतिवादीया सं 5 सुनिता को प्राप्त आराजीरू-चकनं 9 एम. के. एस के खाता सं 82 के प०न० 192/232 मु० 40 किलानं 7 / .253, 11/.235 दक्षिणी दिशा, 3/.018 है० उत्तरी दिशा, 2 ता 19, 23 ता 25 मय गै०मु०

सरता इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर खाता हाजों में दर्ज सुमित्रा देवी उर्फ शिमला के स्थान पर सही नाम सुमित्रादेवी दर्ज किया जावे. व वादी सं 3 जतिन के नाम के आगे दर्ज कुदरती गली हटाया जाकर सही नाम जतिन खदा दर्ज कर चकनं 9 एम. के. एस के खाता सं 75/73 में से अश्वनी का हिस्सा कम, चकनं 9 एफटीपी के खाता सं 137/47 में से सुमित्रा देवी उर्फ शिमला का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं 50/50 में से प्रशान्त का नाम कलमजन, चकनं 6 एफटीपी के खाता सं 93/17 में से सुरजीत कुमार का हिस्सा कम चकनं 9 एम. के एस के खाता सं 78/86 में से सुनिता का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं 82/74 में से सुरजीत कुमार का हिस्सा कम चकनं 1 एफटीपी बी के खाता सं 166/141 में से सुमित्रा उर्फ शिमला देवी का हिस्सा कम, चकनं 4 एम.के. एस के खाता सं 118/113 में से सुमित्रा उर्फ शिमलादेवी का नाम कलमजन, चकनं 6 एफटीपी के खाता सं 86/78 में से

तो व सन्तोष का नाम कलमर्जन, इसी चक के खाता सं० 28/27 में से जतिन का हिस्सा इसी चक के खाता सं० 90/86 में से सुमित्रा उर्फ शिमला का नाम कलमर्जन किया जावे शीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व कार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।
इ पर्चा डिक्री आज दिनांक19/6/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी हो गई।




उपखण्ड (सहायनारायण R.A.S.)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।